न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
7/3/25	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने के इच्छुक नहीं है रहे है। अतः मु.न. 19/18 दावा अमरावती बनाम देवराज आदम शमशी व आदम हैदरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार किया जाकर रोस्टर से कम की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:54:03 IST
Reason: SelfAttested